हिन्दी अकादमी, दिल्ली
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली–110007
दूरभाष : 23692518, 23694562, 23693118, टेलीफैक्स : 23696897
ई–मेल पता : **hindiacademydelhi@gmail.com,**
hindiacademyprogramme@gmail.com

प्रकाशन सहयोग योजना 2019–20

नियमावली

1. केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लेखकों की मौलिक अप्रकाशित पाण्डुलिपियों पर ही विचार किया जायेगा, शोध प्रबंध, अनूदित, काव्य रूपांतरित, संपादित अथवा संकलित पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. पिछले तीन वर्षों का दिल्ली में रहने का आवास/निवास प्रमाण–पत्र (राशनकार्ड/आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की छायांकित प्रति) अनिवार्य है।
3. प्रकाशन सहयोग का उद्देश्य नवोदित लेखकों (प्रतिभाओं) को प्रोत्साहन देना है। अतः नवोदित लेखकों, जिन्हें अकादमी से अभी तक कोई आर्थिक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, की पांडुलिपियों पर आर्थिक सहयोग देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
4. इस योजना के अंतर्गत लेखक को यदि सहयोग राशि जारी की गई है तो लेखक इस योजना में तीन वर्ष के बाद आवेदन कर सकता है।
5. परिवर्तित नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अब किसी भी आयु के कृतिकारों की पांडुलिपियों पर विचार किया जा सकेगा।
6. पाण्डुलिपि की एक सजिल्द प्रति स्वच्छ टाइप या हस्तलिखित पढ़ने योग्य, विषय अनुक्रमणिका, पृष्ठांकन एवं हार्ड बाइंडिंग सहित अकादमी के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। स्पाइरल बाईंडिंग स्वीकार्य नहीं है। पुस्तक के रूप में लगभग 125 पृष्ठ की पांडुलिपियां ही विचारणीय होंगी।
7. एक लेखक की केवल एक ही पाण्डुलिपि स्वीकार्य होगी। अकादमी के कार्यालय में जमा कराई जाने वाली पाण्डुलिपि की एक अतिरिक्त प्रति लेखक के पास रहनी अनिवार्य है।
8. पाण्डुलिपि हिन्दी भाषा और साहित्य से संबंधित किसी भी विधा या विषय की हो सकती है। एक बार जमा कराने के उपरांत पाण्डुलिपि की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. सभी प्राप्त पाण्डुलिपियों पर इस संबंध में गठित अकादमी की समिति द्वारा जांच करके निर्णय लिया जायेगा। समिति द्वारा अनुमोदित पाण्डुलिपियों के लिए प्रकाशन राशि दी जायेगी।

10. यदि प्रकाशित पुस्तक की सामग्री जमा की गई पांडुलिपि की सामग्री से भिन्न होगी तो उस स्थिति में अकादमी द्वारा सहयोग राशि नहीं दी जायेगी।

11. स्वीकृत पांडुलिपि के प्रकाशनार्थ अकादमी के निर्णय और नियमों के अंतर्गत 25,000/– रुपए की प्रकाशन सहयोग राशि के एवज में संबंधित कृति के कृतिकार को 25 प्रतिशत की छूट देने के पश्चात् 25,000/–रुपये की मूल्य की पुस्तकें अकादमी द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से जमा करनी होंगी। पुस्तकें (तीन प्रतियों में बिल सहित) प्राप्त होने के उपरांत ही सहयोग राशि निर्गत की जा सकेगी।

12. यदि कोई लेखक निर्णय की प्रतीक्षा न करके अपनी पांडुलिपि पहले ही लेना चाहता है तो उसे यह अधिकार होगा।

13. जिन रचनाकारों की अभी तक एक भी कृति प्रकाशित न हुई हो और उनकी पाण्डुलिपि में प्रतिपादित विषय स्तरीय होगा तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

14. पाण्डुलिपियां सुपाठ्य हों तथा उनमें वर्तनी की अशुद्धियां न हों।

15. पाण्डुलिपि का प्रतिपादित विषय मौलिक तथा प्रस्तुतिकरण स्तरीय और कलात्मक होना चाहिए। अनुदान के विचारार्थ जमा की गई पाण्डुलिपि के लिए अन्य किसी भी सरकारी संस्थान से अनुदान न लिया गया हो।

16. जो पाण्डुलिपियां नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों में उपयोगी होंगी, उन्हें प्रकाशन सहयोग में प्राथमिकता दी जायेगी।

17. जिन लेखकों की पाण्डुलिपियों को अनुदान स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा, उनके रचनाकार अकादमी द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप में अथवा प्राधिकृत पत्र के द्वारा अनिवार्य रूप से अपनी पांडुलिपि वापस प्राप्त कर लें। निर्धारित अवधि के उपरांत पाण्डुलिपि को लौटाये जाने के लिए अकादमी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

18. अकादमी के शलाका एवं साहित्यकार सम्मान से सम्मानित साहित्यकारों की पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. इस नियमावली में आवश्यक या अपेक्षित परिवर्तनों/संशोधनों/समावेशों आदि के लिए अकादमी का अधिकार सुरक्षित होगा।

20. इस संबंध में अकादमी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

प्रकाशन सहयोग योजना : 2019–2020

पाण्डुलिपि की मौलिकता तथा अप्रकाशित होने का शपथ–पत्र

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी......................................
.........प्रमाणित करता/करती हूं कि प्रकाशन सहयोग योजना 2019–20 के अंतर्गत अनुदान के विचारार्थ मेरे द्वारा प्रस्तुत ....
..................नामक पाण्डुलिपि पूर्णतया मौलिक एवं अप्रकाशित है। यह न तो अनूदित, रूपांतरित, संपादित अथवा संकलित है और न ही शोध–ग्रंथ। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रस्तुत पाण्डुलिपि पुस्तकाकार रूप में अप्रकाशित है।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण पूर्णतः सही है।

हस्ताक्षर ....

लेखक का नाम ....

पता ....

....

....